

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-३/२०१८/२७७।

लखनऊ:दिनांक ०७ अगस्त, २०१८

यू०पी० नीट यू०जी०-२०१८ की द्वितीय चक की ऑन लाईन काउंसिलिंग से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु यू०पी० नीट यू०जी० २०१८ की द्वितीय चक की ऑन लाईन काउंसिलिंग से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराये जाने की महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत निर्धारित की गयी हैं :-

ऑल इण्डिया रैंक	नीट २०१८ में प्राप्त प्राप्तांक	अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थिति होने की तिथि
६० से ५९८४६	६६२ से ४२५	०३ अगस्त २०१८
५९८८६ से १७५६७३	४२४ से ३०५	०४ अगस्त २०१८
१७५७६४ से ३६१५३३	३०४ से २००	०६ अगस्त २०१८
३६१६९३ से ७५७५६३	१९९ से ९६	०७ अगस्त २०१८

- उपर्युक्तानुसार अभ्यर्थी अपनी ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर सम्मुख उल्लिखित तिथि पर चुने गये नोडल सेण्टर पर स्वयं उपस्थित होना होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अभिलेखों के सत्यापन हेतु किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह दिनांक ०७ अगस्त, २०१८ को अपने द्वारा चुने गये नोडल सेण्टर पर उपस्थित हो सकता है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले चुके हैं उन्हें अभिलेखों के सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो **Reshuffle** (पुनरावंटन) करना चाहते हैं वह सीधे च्वाइस लॉक की प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक की काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान अभिलेखों का सत्यापन करा चुके हैं और उन्हें कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि पूर्व में जमा किये गये धरोहर धनराशि से सम्बन्धित साक्ष्य लाना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटित हैं और उनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है, को निर्धारित तिथि पर उनके द्वारा चयनित नोडल सेण्टर पर पुनः अभिलेख सत्यापन कराना होगा तथा उन्हें पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों (शैक्षणिक/आरक्षण) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अभ्यर्थी ने जो प्रिंट आउट प्राप्त किया था, उक्त को अभिलेखों के सत्यापन के समय दिखाना अनिवार्य होगा।
- सिक्योरिटी धनराशि (रु० ३०,०००/- अथवा रु० २,००,०००/-) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० देय लखनऊ के पक्ष में बना हो, को मूलरूप में जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को अपना नाम, अनुक्रमांक, ऑल इण्डिया रैंक तथा मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
- ऑन लाईन च्वाइस फिलिंग एवं सीट आवंटन के परिणाम की तिथि की सूचना पृथक से वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं विस्तृत विवरण हेतु समय-समय पर वेबसाइट <https://upneet.gov.in> & www.updgm.in तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित यू०पी० नीट यू०जी० २०१८ का ब्रोशर अवश्य देखें।

14
महानिदेशक